अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की उनसठवीं (59वीं) बैठक सुश्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 30 अगस्त, 2013 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 576 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 392 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 29 अगस्त, 2013 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,60,252.42 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 11,35,649 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, एसईजेड से 4,76,159 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2011-12 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में 31 जून, 2013 तक 1,13,299 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 की समतुल्य अवधि में निर्यात की तुलना में 4.25 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 59.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ग्राम वघोली एवं भवाडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 13.01 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ट्रांसेनडेंट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक से कुछ सूचना / दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा था तथा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की थी। तदनुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

(ii) प्लाट नंबर आईटी-3, आईटी-4, एयरोली नॉलेज पार्क, आईटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 14.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूसंश लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि मैसर्स पाटनी कंप्यूटर्स लिमिटेड जो मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूसंश लिमिटेड हो गया है जिसका मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूसंश लिमिटेड में विलय हो गया है, के नाम में भूमि थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 04 जुन, 2013 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गृह मंत्रालय ने अभी तक अपनी टिप्पणियां प्रदान नहीं की है और अगले 30 दिन के अंतर टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया। तदनुसार, बोर्ड ने गृह मंत्रालय की टिप्पणियों के अधीन प्लाट नंबर आईटी-3, आईटी-4, एयरोली नॉलेज पार्क,

आईटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 14.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूसंश लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) 1856.5335 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। गुजरात सरकार ने भी अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, विकास आयुक्त, केएएसईजेड / एपीएसईजेड ने प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र प्रवेश मार्ग आदि से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गृह मंत्रालय ने अभी तक अपनी टिप्पणियां प्रदान नहीं की है तथा कहा कि अगले 30 दिन के अंदर टिप्पणियां भेजी जाएं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1856.5335 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व अनुमोदन बोर्ड ने वाणिज्य विभाग को बकाया मुद्दों की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित करने का निदेश दिया।"

मद संख्या 59.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

(i) भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में 55.249565 के क्षेत्रफल में मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विद्युत / इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। तेलंगाना सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2013 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 55.249565 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 59.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार

होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड का निर्णय इस प्रकार है :

न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 10.4813 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं / अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड के प्रस्ताव को निम्नानुसार मंजूर किया है :

(क) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण।
(ख) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।
(ग) सुरक्षा सेवाएं
(घ) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय
(ङ) विद्युत एवं चिल्ड वाटर का उत्पादन

विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार दिनांक 19 फरवरी, 2013 के अनुसरण में।

मद संख्या 59.4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण
(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित

भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।

(iii) सुरक्षा सेवाएं

(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय

उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन होगा कि उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगे तथा विकासक और सह विकासक बे बीच परिसंपत्तियों का समुचित वर्णन होगा। इसके अलावा, विकासक / सह विकासक अनुमानों में परिवर्तन के लिए संशोधित बांड सह सीएलयू प्रस्तुत करेगा।

(ii) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो सेक्टर 30, ग्राम सिलोखेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण

(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।

(iii) सुरक्षा सेवाएं

(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय

उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन होगा कि उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगे तथा विकासक और सह विकासक बे बीच परिसंपत्तियों का समुचित वर्णन होगा। इसके अलावा, विकासक / सह विकासक अनुमानों में परिवर्तन के लिए संशोधित बांड सह सीएलयू प्रस्तुत करेगा।

(iii) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो सेक्टर 24 एवं 25 ए, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलफ साइबर सिटी लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण

(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।

(iii) सुरक्षा सेवाएं

(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय

उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन होगा कि उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगे तथा विकासक और सह विकासक बे बीच परिसंपत्तियों का समुचित वर्णन होगा। इसके अलावा, विकासक / सह विकासक अनुमानों में परिवर्तन के लिए संशोधित बांड सह सीएलयू प्रस्तुत करेगा।

(iv) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, रंगारेड्डी मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण

(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।

(iii) सुरक्षा सेवाएं

(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय

उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन होगा कि उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगे तथा विकासक और सह विकासक बे बीच परिसंपत्तियों का समुचित वर्णन होगा। इसके अलावा, विकासक / सह विकासक अनुमानों में परिवर्तन के लिए संशोधित बांड सह सीएलयू प्रस्तुत करेगा।

मद संख्या 59.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) सारंग गांव, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स क्लैरिजेज एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सारंग गांव, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स क्लैरिजेज एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा लाभ लौटा दिया गया है और राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत करती है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

मद संख्या 59.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) तालुक शिरपुर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के विकासक मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का निम्नलिखित के लिए अनुरोध :

(क) 1000 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्र को घटाकर 100 हेक्टेयर करना, और
(ख) 100 हेक्टेयर के शेष क्षेत्रफल को क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अर्थात इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक एसईजेड के रूप में बनाए रखना।

बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए तालुक शिरूर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के विकासक मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

(क) 1000 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्र को घटाकर 100 हेक्टेयर करना, और
(ख) 100 हेक्टेयर के शेष क्षेत्रफल को क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अर्थात इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक एसईजेड के रूप में बनाए रखना।

यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने भूमि के विमुक्त भाग के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा लाभ लौटा दिया गया है और राज्य सरकार को आंशिक विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। विकास आयुक्त से इस आशय का प्रमाण पत्र आवश्यक है कि शेष 100 हेक्टेयर भूमि संस्पर्शी है और क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के रूप में अधिसूचना के लिए सभी शर्तें पूरी हो रही हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

(ii) 142.1024 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो ग्राम झुंड सराय, भंगरोला एवं बांस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 142.1024 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम झुंड सराय, भंगरोला एवं बांस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा लाभ लौटा दिया गया है और राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत करती है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

(iii) 26.56019 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो ग्राम बांस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विकासक ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) 14-43-2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड जो ग्राम दहीवाली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

बोर्ड ने 14-43-2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम दहीवाली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा लाभ लौटा दिया गया है और राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत करती है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

(v) 10-71-9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड जो ग्राम देवनावे, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

बोर्ड ने 10-71-9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम देवनावे, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा लाभ लौटा दिया गया है और राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत करती है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

(vi) 20.1366 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड जो जयपुर - अजमेर एक्सप्रेसवे, जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 20.1366 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जयपुर - अजमेर एक्सप्रेसवे, जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा लाभ लौटा दिया गया है और राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत करती है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

(vii) 67.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम झुंड सराय और भंगरोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 67.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम सराय एवं भंगरोला जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत

किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा लाभ लौटा दिया गया है और राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत करती है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

मद संख्या 59.7 : पांचवें से सातवें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, ग्राम हिंजेवाड़ी एवं मान, तालुक मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड (जो औपचारिक रूप से मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड के नाम से विख्यात है) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 26 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) प्लाट नंबर टीजेड 07, सेक्टर आईटी पार्क, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 मार्च, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 16 मार्च, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) प्लाट नंबर 8, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 सितंबर, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 2 सितंबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) गंभीरम गांव, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 24 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 29 अक्टूबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) ग्राम भागन, तहसील गनौर, सोनीपत और ग्राम कुरार इब्राहिमपुर, तहसील सोनीपत, हरियाणा में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक के उक्त अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व एसईजेड भूमि की सन्निकटता के मुद्दे पर राज्य सरकार की राय प्राप्त की जाए। तब तक वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को आस्थगित रखा जाएगा।

(vii) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2013 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 24 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(viii) मडिकोंडा गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 25 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ix) श्रीपेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलांकनि टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 22 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(x) चोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 25 जुलाई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) अलुवा तालुक, एर्नाकुलम में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जून, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 30 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xii) कांचा इमारत, रविरियाल गांव, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जून, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 30 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 59.8 : सैद्धांतिक अनुमोदन / औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

संबलपुर, ओडिशा में एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक एवं औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2013 तक सैद्धांतिक और औपचारिक दोनों अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 59.9 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 13 जून 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने बीओए की तारीख (30 अगस्त, 2013) से 6 माह तक अर्थात 28 फरवरी, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 12 जून 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 12 जून, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 2 अगस्त, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोजेनेक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 2 अगस्त, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 31 अगस्त 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 अगस्त, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 59.10 : एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के विविध मामलों की पुष्टि के लिए मामले

(i) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2013 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 17 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

(ii) 5वां मील पत्थर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 मई 2013 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली कार्पोरेशन का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 5 नवंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

(iii) गुड़गांव में बहु उत्पाद एसईजेड के विकास के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उनके प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स क्रिस्टल सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड था) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 59.11: यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के विविध मामलों की पुष्टि के लिए मामले

(i) 5 अगस्त, 2013 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी सी2-सी3 प्लांट्स जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 5 अगस्त, 2014 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 59.12 : विविध मामले

(i) जेवी पार्टनर को 50 प्रतिशत इक्विटी के आवंटन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड का सह विकासक, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने जेवी पार्टनर को 50 प्रतिशत इक्विटी के आवंटन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

(ii) राजीव इनफोटेक पार्क फेज 2, गांव हिंजेवाड़ी एवं मान, तालुक मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकास के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने राजीव इनफोटेक पार्क फेज 2, गांव हिंजेवाड़ी एवं मान, तालुक मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकास के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्‌वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्‌दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्‌टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(iii) अपने विलय पर शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम जिला, चेन्नई, तमिलनाडु में एलकॉट के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में प्रचालन करने वाले मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए सह विकासक के स्टेटस को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने उनके विलय के फलस्वरूप शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम जिला, चेन्नई, तमिलनाडु में एलकॉट के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में प्रचालन करने वाले मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए सह विकासक के स्टेटस को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(iv) उनके विलय पर मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो बहादुपल्ली गांव, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने उनके विलय के फलस्वरूप बहादुपल्ली गांव, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(v) उनके विलय पर मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो प्लाट नंबर 23-34, हाइटेक सिटी, माधापुर, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने उनके विलय के फलस्वरूप प्लाट नंबर 23-34, हाइटेक सिटी, माधापुर, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(vi) मैसर्स जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को अपनी संपूर्ण इक्विटी के हस्तांतरण के लिए मैसर्स एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई जो ग्राम वल्लनचेरी, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने मैसर्स जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को अपनी संपूर्ण इक्विटी के हस्तांतरण के लिए ग्राम वल्लनचेरी, चैंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(vii) एसईजेड का सेक्टर 'विद्युत' से बदलकर 'इंजीनियरिंग' करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड जो भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने सेक्टर को विद्युत से बदलकर इंजीनियरिंग करने का अनुरोध किया है। एसईजेड में निर्माणाधीन पावर प्लांट एसईजेड यूनिटों को विद्युत की आपूर्ति के लिए कैप्टिव प्रकृति का होगा। इसके अलावा, विकासक ने वचनपत्र दिया था कि एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व किए गए निवेश पर कोई ड्यूटी लाभ नहीं लिया जाएगा और यह कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तथापि विकास आयुक्त, केएसईजेड ने बताया कि कुछ और बातों की जांच करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(viii) मैसर्स बंगलौर एसईजेड, मंगलौर द्वारा बैकमपैडी, मंगलौर में पेट्रोकेमिकल एवं पेट्रोलियम के लिए विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में सेक्टर में परिवर्तन के लिए एसईजेड

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने बैकमपैडी, मंगलौर में मैसर्स बंगलौर एसईजेड, मंगलौर द्वारा विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट पेट्रोकेमिकल एवं पेट्रोलियम एसईजेड के संबंध में उसका सेक्टर बदलकर बहु उत्पाद एसईजेड करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 59.13 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट (1) है, की अपील

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट (3) है, की अपील

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट (4) है, की अपील

(iv) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो नानाक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद में मैसर्स टीएसआई बिजनस पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सह विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में प्रचालन कर रहा है, की अपील

उपर्युक्त अपीलों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस विषय पर विचार विमर्श किया तथा निर्णय लिया कि चूंकि यह विषय वाणिज्य विभाग में पहले से विचाराधीन है, इसलिए इस संबंध में वाणिज्य विभाग द्वारा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है।

(v) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2013 के विरुद्ध मैसर्स इपका लैबोरेटरीज लिमिटेड जो प्लाट नंबर 1, फेज 2, पीतमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड के तहत प्रचालन कर रहा है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मामले के सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए यूनिट को अवसर प्रदान करने के बाद मामले पर पुनर्विचार करने के निदेश के साथ यूनिट अनुमोदन समिति के पास मुद्दे को वापस भेजने का निर्णय लिया।

(vi) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 10 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स इंडिया सेल्स कॉर्पोरेशन जो एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने तथा उसके बाद विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व विधि विभाग की राय लेने का निदेश दिया।

(vii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 21 मई 2013 के विरुद्ध मैसर्स सतगुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

बोर्ड ने नोट किया कि इसमें शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राय लेना जरूरी है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

*****